

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 44/2020

दायर दिनांक 07.02.2020

- | वादी | प्रतिवादीगण |
|---|---|
| 1. पेमाराम पुत्र किसनाराम जाति
जाट निवासी सिंघाना,
तहसील डीडवाना
जिला-नागौर, राजस्थान। | 1. भंवरलाल पुत्र तुलछाराम
2. सेहनाराम पुत्र तुलछाराम
3. मेघाराम पुत्र तुलछाराम
4. मुकनाराम पुत्र तुलछाराम
5. भागीरथराम पुत्र तुलछाराम
6. पेफाराम पुत्र मोहना
7. भंवरी पत्नि मोहना
8. उमेदाराम पुत्र ज्ञानाराम
9. रामनिवास पुत्र ज्ञानाराम |
| बनाम् | 10. लिखमाराम पुत्र ज्ञानाराम
11. रामूराम पुत्र कानाराम
12. चुंका देवी पत्नि कानाराम
13. सुन्दर देवी पुत्री कानाराम
14. सम्पती देवी पुत्री कानाराम
15. राजुराम पुत्र मूलाराम
16. हड़मानराम पुत्र मूलाराम
17. मनोहरी पुत्री मूलाराम समस्त जाति जाट
निवासी सिंघाना, तहसील डीडवाना जिला
नागौर राज0।
18. तहसीलदार डीडवाना। |

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरुस्ती, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188

उपस्थित:-

1. श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी।
2. श्री मो0 रफीक वकील प्रतिवादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक 07.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि खेत खसरा सं0 25 रकबा 0.11 बीघा, खसरा सं0 38 रकबा 0.08 बीघा, खसरा सं0 39 रकबा 2.03 बीघा, खसरा सं0 245 रकबा 1.08 बीघा, खसरा सं0 247 रकबा 2.15 बीघा, खसरा सं0 454 रकबा 19.18 बीघा, खसरा सं0 455 रकबा 22.14 बीघा कुल रकबा 49.17 बीघा वाकै सिंघाना भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीटर्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 11.05.2022 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 1306 दिनांक 06.07.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1306 दिनांक 06.07.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।




सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

-:: आदेश ::-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं० 25 रकबा 0.11 बीघा, खसरा सं० 38 रकबा 0.08 बीघा, खसरा सं० 39 रकबा 2.03 बीघा, खसरा सं० 245 रकबा 1.08 बीघा, खसरा सं० 247 रकबा 2.15 बीघा, खसरा सं० 454 रकबा 19.18 बीघा, खसरा सं० 455 रकबा 22.14 बीघा कुल रकबा 49.17 बीघा वाकै सिंघाना की भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1306 दिनांक 06.07.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1306 दिनांक 06.07.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना (राजपुर)
 सहायक कलक्टर

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 07.07.2022 को सरे इजलास सुनाया

गया।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना (राजपुर)
 सहायक कलक्टर
 डीडवाना

डिक्री वमुकददमें इव्लदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
वइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 44/2020 दायर दिनांक 07.02.2020

वादी	प्रतिवादीगण
1. पेमाराम पुत्र किसनाराम जाति जाट निवासी सिंघाना, तहसील डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।	1. भंवरलाल पुत्र तुलछाराम 2. सेहनाराम पुत्र तुलछाराम 3. मेघाराम पुत्र तुलछाराम 4. मुकनाराम पुत्र तुलछाराम 5. भागीरथराम पुत्र तुलछाराम 6. पेफाराम पुत्र मोहना 7. भंवरी पत्नि मोहना 8. उमेदाराम पुत्र ज्ञानाराम 9. रामनिवास पुत्र ज्ञानाराम
बनाम्	10. लिखमाराम पुत्र ज्ञानाराम 11. रामूराम पुत्र कानाराम 12. चुंका देवी पत्नि कानाराम 13. सुन्दर देवी पुत्री कानाराम 14. सम्पती देवी पुत्री कानाराम 15. राजुराम पुत्र मूलाराम 16. हड़मानराम पुत्र मूलाराम 17. मनोहरी पुत्री मूलाराम समस्त जाति जाट निवासी सिंघाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 18. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, 53 R.T.Act.

दिनांक 07.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी श्री मो0 रफीक वकील प्रतिवादीगण की ओर से मददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 25 रकबा 0.11 बीघा, खसरा सं0 38 रकबा 0.08 बीघा, खसरा सं0 39 रकबा 2.03 बीघा, खसरा सं0 245 रकबा 1.08 बीघा, खसरा सं0 247 रकबा 2.15 बीघा, खसरा सं0 454 रकबा 19.18 बीघा, खसरा सं0 455 रकबा 22.14 बीघा कुल रकबा 49.17 बीघा वाकै सिंघाना की भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1306 दिनांक 06.07.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1306 दिनांक 06.07.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुवलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
वसव्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.07.2022 को सरे इजलास जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना
 डीडवावा (नामौर)